Environment Accounting
A Way to sustainable Development and Challenges

***Rajni Meena**

ABSTRACT

उपलब्ध विज्ञान साहित्य के अनुसार जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया हैं जो नित्य हैं, जो नित्य होती आ रही हैं, और होती रहेगी। जलवायु परिवर्तन के प्रमुखतः दो कारण हैं – प्राकृतिक व मानव निर्मित, प्राकृतिक कारणों के बारे में अधिक चर्चा करना तर्क संगत नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक कारणों के उपर मानव का कोई नियंत्रण नहीं हैं औद्योगिक क्रांति के पूर्व जलवायु की स्थिति और वर्तमान की जलवायु के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पश्ट हुआ हैं कि जलवायु परिवर्तन कि समस्या के लिये एक प्रकार से मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं। भारत द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं को 1985 में पहले से ही अपनी नीतिगत रूपरेखा में शामिल किया हुआ हैं, 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा सक्रिय पर्यावरण संरक्षण कि पहल की गई हैं, इस प्रकार पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया जाना हैं अतः इस पृष्ठभूमि में पर्यावरणीय चुनौतियों और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा उसके परिणामों कि पहल सक्रिय दृष्टिकोणों को समझना अतिआवश्यक हैं।

INTRODUCTION

➢ **नियमों का समय–समय पर संशोधन** :

पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने की लिए नीतिगत वातावरण अब गतिशील हो गया हैं। वर्ष 2016 में ई–वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–वेस्ट कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन, अपिशिष्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए अलग–अलग नोटिफिकेशन जारी करने से सम्बन्धित नियमों को जारी करने से संकेत मिलता हैं कि दशकों से लम्बित ईको–सिस्टम कि नीती को बदलने कि पहल कि शुरूआत हो गई हैं।

➢ **प्रक्रियात्मक सुधार** :–

✓ **सरकारी निजी कम्पनियों की भागीदारी** :

पहले अकेले सरकार ही पर्यावरण संरक्षण उपायों के वित पोषण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार थी, पिछले तीन वर्षों में निजी क्षेत्र में उपलब्ध पूँजी, प्रोद्योगिकी और मानव संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पर जोर दिया गया। जैसेः–PPP मॉडल वन सरंक्षण के लिए अपनाया गया था इस पहल के तहत इसमें भाग लेने वाली कम्पनियों को वाणिजियक उद्देश्यों और पुनः नवीनीकरण उपायों को शुरू करने के लिए नए विकसित वन उपज का उपयोग करने कि अनुमति प्रदान कि गई PPP मॉडल वन संसाधनों और खजाने के अनियंत्रित उपयोग पर नियंत्रण तथा वन उत्पादन का कम आयात सुनिशचित करता हैं।

✓ **प्रौद्योगिकी का उपयोगी स्तर** :

उद्योगों के प्रदूषण कि वास्तविक समय पर निगरानी, प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों कि स्थिति और शिकायतों को दूर करने के लिए जानकारी आदि में संचार प्रौद्योगिकी से काफी हद तक फायदा हुआ हैं। वनों और जल निकायों कि निगरानी के लिए उपग्रहों कि तैनाती, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर वेब आधारित आवेदन, गहरे जंगलों में निगरानी के लिए ड्रोनों की तैनाती, वन्यजीव जनगणना के लिए कैमरे के जाल का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाता हैं।

✓ **सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :

पर्यावरण सरंक्षण के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे विकासशील देशों के साथ अक्षय उर्जा संसाधनों पर द्विपक्षीय समझौतों और MOV हस्ताक्षर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

विशेष :– UNFCCC को लक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) प्रस्तुत करने और 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुसमर्थन तथा भारत द्वारा 121 देशों से जुडे अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारम्भ वैश्विक स्तर पर इसके नेतृत्व की भूमिका का संकेत देता हैं।

✓ **प्रचार अभियान** :

पर्यावरण सरंक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में केवल सरकारी एजेंसियां भाामिल थी लेकिन पिछले कुछ समय में स्कूल, नर्सरी कार्यक्रम और जलवायु परिवर्तन विशेष एक्सप्रेस जैसी पहल के साथ–साथ सरकार पर्यावरण सरंक्षण में नागरिक समाज और स्कूल के बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ रही हैं।

✓ **पर्यावरण सरंक्षण उपयों का प्रभाव** :

वन्यजीव आबादी 2016 में World Wild life fund और Global Tiger Forum द्वारा जारी अनुमान के अनुसार 2010 में जंगली बाघों की संख्या 3200 थी जो अब बढकर लगभग 3890 हो गई, यह एक अच्छा संकेत हैं क्योंकि बाघ की आबादी की प्रजातियां और वन्यजीव आबादी की स्थिति को नापने के लिए बेहतर पैरामीटर माना जाता हैं।

✓ **वन कवर** :

दिसम्बर 2015 में जारी किए गए भारत राज्य वन रिर्पोट (ISFR) 2015 के अनुसार, देश के कुल वन क्षेत्र में दो साल में 3775 वर्ग किलोमीटर कि वृद्वि हुई हैं, परिणामस्वरूप कुल जंगल और वृक्ष कवर 79.42 मिलियन हैक्टेयर तक पहुँच गया हैं, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 29.16 प्रति ात हैं।

✓ **प्रदूषण के स्तर** :–

कई उपायों के बावजूद भी विभिन्न कारणों से हवा और जल प्रदूषण की गुणवता बिगडती जा रही हैं रिर्पोटानुसार भारत का लगभग 80 प्रतिशत सतही पानी प्रदूषित हैं तथा यहां की हवा की गुणवता के सूचकांक में गिरावट अभी भी चिन्ता का कारण हैं इस सम्बन्ध में मौजूदा नीतिगत उपायों को मजबूत करने कि आव यकता हैं।

✓ **पर्यावरण से सम्बन्धित अधिनियम व नीतियाँ** :–

वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 : 1972 में स्टाक होम कान्फ्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति एवं देश के वन्यजीवन की रक्षा और तस्करी,, अवैध शिकार और वन्यजीवन एवं उसके व्युत्पन्नों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया।

विशेष : जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव सरंक्षण (संशोधित) अधिनियम, 2002 रखा, इसके अन्तर्गत दण्ड तथा जुर्माने को और कठोर कर दिया गया हैं।

✓ **पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनिय, 1986** :

पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 अपने से पूर्व के पर्यावरण सरंक्षण से सम्बन्धित सभी कानूनों से अधिक प्रभावी हैं।

विशेष :– इसमें प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये प्रभावी एवं स्पष्ट उपाय किये गए हैं।

✓ **राष्ट्रीय वन नीति** :–

देश में सर्वप्रथम वन नीती 1894 में बनाईं गईं थी स्वंतत्रता के उपरान्त 1952 में वन नीति संशोधित की गई। वनों के सतत् हास को देखते हुए 1988 में राष्ट्रीय वन नीती बनाई गई।

विशेष :– इसके तहत भारत में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया हैं।

✓ **राष्ट्रीय आर्दभूमि सरंक्षण कार्यक्रम** :–

भारत में 1987 से ही राष्ट्रीय आर्दभूमि सरंक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आर्दभूमि सरंक्षण कि गतिविधियों को समर्थन दे रहा हैं।

विशेष :– इस कार्यक्रम के तहत आर्दभूमि क्षेत्रों को चिन्हित कर सरंक्षण एवं प्रबंधन के लिये केन्द्र सरकार, राज्यों एवं संघ–शासित प्रदेशों को वितीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती हैं।

✓ **अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम(वन अधिकारों कि मान्यता) 2006**:

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत में वंचित वन अधिकारों की बहाली प्रदान करता हैं, यह वन भूमि में खेती के लिये व्यक्तिगत अधिकार और साझा सम्पति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार प्रदान करता हैं।

विशेष – वन भूमि पर वन अधिकार की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर हैं।

✓ **अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी** :

(वन अधिकारों कि मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 जनजाति कार्य मंत्रालय को जब यह लगा कि अधिनियम के क्रियान्वयन में 4 वर्ष से अधिक का समय बिताने के बाद इस कल्याणकारी कानून का अक्षरशः क्रियान्वयन नही हो पा रहा एवं लक्षित वन निवासियों को इसका लाभ पहुँचने में कई समस्याऐं आ रही हैं, तो मंत्रालय ने अधिनियम के सख्ती से कार्यान्वयन हेतु कुछ प्रावधान उपाय कियैं

✓ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** :–

पर्यावरण के अधिकारों कि सुरक्षा तथा पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई।

✓ **पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्य योजनाऐं** :–

- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम।
- संयुक्त वन प्रबंधन।
- राष्ट्रीय स्वच्छ उर्जा निध्झिं
- राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन।
- नेशनल ग्रीन कॉटर्स।
- राष्ट्रीय बॉस मिशन।
- भविष्य के लिए मैग्रोव।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ;छडळळद्ध।

✓ **भारत में पर्यावरण सरंक्षण से सम्बन्धित विभिन्न संगठन** :–

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड।
- राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण।
- केन्द्रीय चिडिया घर प्राधिकरण।
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण।
- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो।

✓ **पर्यावरण प्रणाली महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय संगठन, ऐजिन्सयाँ** :–

- International Union For Conservation of Nature.
- WWF
- UNEP
- CITES
- Convention on the Conservation of migratory Species of wild Animals CMS.
- IPCC
- Earth Summit.

➢ **CONCLUSION** :

नये कानूनों को लागू करने और नई योजनाओं को लॉन्च करने के पहले के दृष्टिकोण के विपरीत हाल के पर्यावरण पहलों में एक नई उर्जा देखने को मिली हैं, जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन वनों की जडे, वन्यजीव आदि की सुरक्षा जैसे मुद्दों को भाामिल किया गया हैं, बल्कि इसमें नए पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के तरीके पर भी प्रकाश डाला गया हैं।

सरकार द्वारा नए सिरे से किए गए प्रयासों के बावजूद, पर्यावरणीय समस्याऐं अभी भी कई ईंधन आधारित औद्योगिकरण, नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रवाह हीनता, के कारण ज्यों कि त्यों बनी हुई हैं। अतः इस समय सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ स्थायी और मावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थायी वातावरण बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए।

***Research Scholar**

UGC – Net (Academician), Alwal